

2 pages

443



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

क्रमांक-237/2017

सं० का/310/1/भाग-छः/चार

दिनांक 16-11-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों को सभी संबंधित की जानकारी में लाना।

संदर्भ:-इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र सं० का/310/1/भाग-छः/चार
दिनांक 08.12.2016

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.12.2016 को सम्बद्ध किया जाए, जिसके द्वारा रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा-निर्देशों को मण्डल, अतिरिक्त इकाईयों सहित छोटे कार्यालयों में एक सप्ताह के भीतर प्रचारित किए जाने से सम्बन्धित निर्देश जारी किए गए थे तथा मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करने का उल्लेख भी किया गया था परन्तु उक्त निर्देशों का पालन समुचित रूप से सम्भवतः नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त निर्देशों की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया जा रहा है कि इस कार्यालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधिनस्थ कार्यालयों में एक सप्ताह के भीतर भेज दिया जाए तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया जाए।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

संलग्नक/यथोपरि

(Handwritten Signature)
(एल०बी०राय)

प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. महामंत्री/नरमू- मद सं० 3.02/14 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आल इण्डिया एससी/एसटी एसोसियेशन, पूउरे, गोरखपुर।
3. आल इण्डिया ओबीसी एसोसियेशन, पूउरे, गोरखपुर।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



217

क्रमांक 192/2016

कार्यालय महाप्रबन्धक, ज-२३

गोरखपुर-273012

Office of the General Manager

Gorakhpur-273012

दिनांक 8.12.2016

सं० का/310/1/भाग-छ/चार

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी,
सभी कार्मिक अधिकारी/अतिरिक्त मण्डल इकाई,
सभी कार्मिक अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों को सभी संबंधित की जानकारी में लाना।

कई बार शिकायत प्राप्त हुई है कि रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा-निर्देश मण्डल एवं अतिरिक्त इकाईयों को भेजे जाते हैं, वे आपके विभागों में और छोटे कार्यालयों में नहीं पहुँचते हैं और पहुँचते भी हैं तो नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को समुचित जानकारी नहीं होती है और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

महाप्रबन्धक महोदय ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है। अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा-निर्देश मुख्यालय इकाईयों एवं अन्य इकाईयों में एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाय और मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया जाय। मण्डल एवं इकाईयों द्वारा उक्त निर्देश को सभी अधीनस्थ कार्यालयों में एक सप्ताह के भीतर भेज दिया जाय तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया जाय। उपरोक्त सुनिश्चित करना उस कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य है। इसमें कोई चूक होने पर महाप्रबन्धक महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया जाएगा।

अनुरोध है इसे कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(एस.एम.एन. इस्लाम)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. महामंत्री/नरमू- मद सं. 3.02/14 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आल इण्डिया एसी/एटी सोसिएशन, पूउरे, गोरखपुर।
3. आल इण्डिया ओबीसी सोसिएशन, पूउरे, गोरखपुर।